**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1765**

**28 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषयः महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं को भूमि अधिकार**

**1765. श्री हुसैन दलवईः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में आत्महत्या करने वाले किसानों तथा अन्य राज्यों जहां से किसानों द्वारा आत्महत्या की सूचना मिली है, की विधवाओं को भूमि अधिकार की मान्यता न देने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में सर्वेक्षण किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) महिला किसानों और मृत किसानों की विधवाओं खासकर उनके भूमि अधिकार को मान्यता देने के संबंध में सरकार की क्या नीति है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में सामान्य रूप से महिला किसानों और विशेष रूप से विधवा महिला किसानों के भूमि अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)**

**(क)**: महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचना दी है कि आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं के भूमि अधिकारों को महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 के प्रावधानों के अनुसार समय रहते मान्यता दी है। मृतक किसानों के कानूनी वारिसों का दाखिलखारिज न करने के संबंध में महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठबाड़ा क्षेत्र में कलेक्टरों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

**(ख):** प्रश्न ही नहीं उठता।

**(ग) एवं (घ):** महाराष्ट्र सरकार ने संबंधित किसानों के अनुरोध के अनुसार मृतक किसान की पत्नी का नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज करने हेतु अनुदेश जारी किए थे। महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 के प्रावधानों में मृतक किसानों की विधवाओं और कानूनी वारिसों के नाम दाखिलखारिज करने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को राहत प्रदान करती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ राज्य आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को राहत प्रदान करते हैं जो निम्नलिखित है:

1. मृतक किसानों के वारिसों को अनुग्रह राशि प्रदान करती है। अनुग्रह राशि के लिए पात्रता के तीन मानक यथा फसल हानि, ऋणग्रस्तता और कृषि संबंधी ऋणों को वापस करने में असमर्थता के कारण उत्पीड़न हैं।
2. मृतक किसानों के परिवारों के सदस्यों के पुनर्वास के लिए ऋणों/देनदारियों की अदायगी के लिए एक मुश्त भुगतान।
3. मृतक किसानों के बच्चों को छात्रावास की सुविधा सहित स्नातकोत्तर स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए राहत प्रदान की।

सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं जिनमें किसानों की मदद की जाती है जिनमें महिला किसान शामिल हैं। इन योजनाओं में से कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं- अटल पेंशन योजना (एपीवाई), इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई), समेकित वृद्धजन कार्यक्रम (आईपीओपी), राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*